(330) निग०-0 3010/2018/ रीवा/ मप्र०

(438)

न्यायालय : श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा, म0प्र0.

निगरानी क्र0/ /018

20रु. COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES — विलोपित/विलोपित — 5रु. COURT FEE Rs.5 INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES — विलोपित/विलोपित — Rs.5 INDIA FIVE RUPEES

प्रेमलाल गुप्ता तनय सूर्यदीन गुप्ता निवासी ग्राम बीडा, थाना व तह0 सेमरिया जिला रीवा, म0प्र0.

----आवेदक/निगरानीकर्ता

बनाम्

01-सुनील कुमार गुप्ता तनय अर्जुनदास गुप्ता निवासी ग्राम बीडा थाना व तह0 सेमरिया जिला रीवा, म0प्र0.

02- शासन म0प्र0

----अनावेदकगण/गैर निगरानी कर्ता

आधा0 श्री संजय कुमार तिवारी द्वारा पेश 16-5-18

कलर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी विरूद्ध निर्णय न्यायालय श्रीमान् राजस्व निरीक्षक महोदय वृत्त शाहपुर तह0 सेमरिया जिला रीवा के आदेश दिनांक 09.02.018 जिसका प्रकरण क्र0 0024/अ-12/2017-18 मे पारित ।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं01959

मान्यवर,

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

अनावेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आराजी नं0 1363/1, 1363/2 1364/1, 1364/2, 1371/2(क), 1371/2/ख किता 6 रकबा क्रमशः 0.319है0 0.206है0, 0.007है0, 0.228है0, 0,069है0, 0.073है0, स्थित ग्राम बीडा, तह0 सेमरिया जिला रीवा का सीमांकन हेतु आवेदनपत्र प्रस्तुत किया । उक्त आवेदनपत्र मे मात्र शासन म0प्र0 को पक्षकार बनाया गया निगरानीकर्ता को जब सीमांकन की जानकारी हुई तब उसके द्वारा नायब तहसीलदार वृत्तसेमरिया (शाहपुर) के

प्रेमलाल गुप्ता

(330)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक निग03010/2018/ रीवा/भू–रा0 जिला–रीवा

प्रेमलाल गुप्ता/सुनील कुमार

(1)	(2)	(3)
23.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री संतोष कुमार तिवारी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, वृत्त शाहपुर, तहसील सेमरिया के प्रकरण क्रमांक 24/अ–12/2017–18 में पारित आदेश दिनांक 09.02.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 25.07.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	